संख्या-3/1071/38-6-14-05एवीआरवाई/2013

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-04 दिसम्बर, 2014

विषय- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान संख्या-83 एससीएसपी मद में रू0 6.00 करोड की बजट व्यवस्था है। बजट व्यवस्था के सापेक्ष शासनादेश संख्या-526/38-6-14-5एवीआरवाई/2013, दिनांक-16.06.2014 द्वारा रू0 2.00 करोड की धनराशि स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखी गई थी। योजनान्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास के प्रस्ताव पत्र संख्या-1425/कार्यक्रम अनु0/अ0वि0रो0यो0/2014-15, दिनांक-30.06.2014 के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट परीक्षण समिति की बैठक दिनांक-22.08.2014 के उपरान्त् उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के निर्णय दिनांक-26.09.2014 में लिए गये सम्यक निर्णय के अनुरूप अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान संख्या-83(एससीएसपी मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 6.00 करोड (रूपये छः करोड मात्र) में से उक्त पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 2.00 करोड की वित्तीय उपयोगिता एवं अवशेष रू0 4.00 करोड की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

http://gnasanadesh.up.nic.in

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 में निहीत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(3) परियोजनान्तर्गत उक्त स्वीकृत कुल रू0 600 लाख(रूपये छः करोड) की राजकीय सहयता योजना अंश के रूप में उपयोगिता होगी। अतएव प्रति रोजगार इकाई(प्रतिलाभार्थी) को रू0 10,000/- की आर्थिक सहायता ए0वी0आर0वाई0 अंश के रूप में अनुमन्य होगी। इस प्रकार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित/स्वीकृत कुल धनराशि रू0 6.00 करोड के माध्यम से 6000 रोजगार इकाईयॉ स्थापित की जायेगी। इन इकाईयों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से 18000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे अर्थात कुल 24000 रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

(4) योजनान्तर्गत इनोवेटिव रोजगार इकाईयों की स्थापना पर प्रमुखता दी जाये, जिससे लाभार्थी और अच्छी आय सृजित कर सके और स्थापित रोजगार इकाई से अन्य सहायक आर्थिक और अच्छी आय सृजित कर सकें और स्थापित रोजगार इकाई से अन्य आर्थिक कार्य-कलापों में रोजगार अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

(5) परियोजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत जैसा कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है के अनुसार औसत रूप से रू0 80 हजार न्यूनतम होगी। बैंको से ऋण उपलब्धता एवं रोजगार इकाई की लाभदेयता की दृष्टि से नाबार्ड/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0जी0एस0 वाई0)/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना(एम0एम0जी0आर0वाई0) के अंतर्गत उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निर्धारित इकाई लागत के

http://gnasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत उपयुक्त रोजगार इकाई लागत के आधार पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग ए0वी0आर0वाई0 की गाईड लाईन में निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वरोजगार इकाईयों की स्थापना जिला स्तरीय परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन तथा राज्य स्तरीय/उच्च स्तरीय टास्कफोर्स की सहमति के अनुरूप निर्धारित प्राविधानों-इकाई लागत, लाभार्थी पात्रता तथा बैंक ऋण व लाभार्थी अंशदान आदि की सुनिश्चितता की जायेगी।

(7) रोजगार उद्यम स्वभाव की लागत के अनुसार अलग-अलग आर्थिक कार्यकलापों में लार्भाजन होगा। प्रति इकाई/प्रति लाभार्थी को प्रतिमाह न्यूनतम रू0 4000/- की आय अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(8) स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत लक्षित रोजगार प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर को इकाई मानते हुए विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा अनुसरण का दायित्व निर्वहन किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार कर लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें जिससे स्वरोजगार हेतु इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी किसी भी दशा में वंचित न रहें और अपात्र लाभान्वित न हो।

(9) संस्थागत वित्त की उपलब्धता हेतु अनुमोदित प्रस्तावानुसार कुल लाभार्थियों के लिये ऋण की धनराशि की आवश्यकता के अनुरूप संबंधित बैंकों से समुचित समन्वय कर ऋण राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। आगामी वर्षों के लिये भी समय से लाभार्थियों को वित्तीय व्यवस्था की सुलभता के लिये जनपद स्तरीय बैंक से क्रेडिट प्लान में भी लक्षित लाभार्थियों/परियोजना इकाईयों के अनुसार समावेश कराया जाए। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा भली-भॉति दायित्वों का निर्वहन किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रोजगार सृजन हेतु माहवार लक्ष्यों के फांट तैयार कर बैंक से वित्त पोषण सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में जनपदवार लक्ष्य व क्रेडिट प्लान के विवरण निदेशक, संस्थागत वित्त को भी उपलब्ध करते हुए समन्वित प्रयास किये जाए।

(11) रोजगार सृजन के लिए स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप उपलब्ध कच्चा माल एवं कौशल के उपयोग के आधार पर क्लस्टर एप्रोच में आर्थिक कार्यकलाप विकसित करने के लिए प्रमुखता दी जाए, जिससे प्रति रोजगार इकाई के प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ अधिकाधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

(12) परियोजनान्तर्गत उत्पादित उत्पाद के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे लाभार्थी अपने उत्पादित सामग्री का एक निश्चित स्थान एवं विपणन संस्था को विक्रय कर अच्छी कीमत प्राप्त कर सकें।

(13) परियोजनान्तर्गत का लाभ जनसमान्य को मिल सके अतएव स्थानीय स्तर पर प्रचुर जानकारी दी जाये एवं प्रचार-प्रसार भी व्यवस्थित रूप से किया जाये। परियोजनान्तर्गत सफलता की कहानी का स्वरूप तैयार कर सफल इकाईयों के प्रदर्शन के आधार पर लाभार्थियों का कौशल संवर्धन भी किया जाये जिससे कमजोर लाभार्थी भी सफल लाभार्थी का अनुकरण कर अपने रोजगार इकाईयों को ऊँचा उठा सकें।

(14) लाभार्थियों का चयन तकनीकी प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन, बैंक से ऋण की उपलब्धता एवं उत्पादित माल की उचित कीमत लाभार्थियों को भुगतान तथा उपयुक्त आय सृजन आदि की सुनिश्चितता हेतु मुख्यालय से लेकर फील्ड तक सभी स्तरों पर नियमित अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन तथा अनुसरण कर परियोजना को सफल बनाया जाये। इस हेतु परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित यथा-विकास खण्ड, जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और अनुमोदित परियोजना प्राविधान के अनुसार विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जायें।

http://sns.bsnadesh.up.nic.in

(15) स्वीकृत इस परियोजनान्तर्गत वित्त पोषण होने के परिणामस्वरूप स्थापित इकाईयों के माध्यम से सृजित होने वाला रोजगार सृजन उपलब्धि में दर्शाया जायेगा।

(16) जिला स्तर पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति में साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाये तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा पाक्षिक समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध् कराई जाये। प्रगति आख्या/सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) धनराशि का उपयोग अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना की गाइड लाइन्स के अनुक्रम में अनुमोदित परियोजना के अनुमन्य मदों में किया जाये। स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका का बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति व स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति व स्वीकृति के प्राप्त करने के बाद ही किया जाये। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाये। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाये।

(18) परियोजनान्तर्गत स्वरोजगार सृजन के लक्षित उपलब्धि हेतु स्वीकृत धनराशि जनपदों को फांट तैयार कर कार्य योजना सहित उपलब्ध कराई जाये और जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति लक्ष्यानुसार सुनिश्चित की जाये।

(19) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का इसी वर्ष उपयोग कर लिया जाएगा और फिर भी यदि कोई धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में शेष रहती है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समर्पित अथवां राजकोष में जमा की जाये।

http://sansandesh.up.nic.in

धनराशि को बैंक खाते में कदापि न रखा जाये। पी0एल0ए0 में भी धनराशि रखने की अनुमन्यता न होगी।

(20) स्वरोजगार हेतु बायबल इकाईयॉ ही स्थापित की जायें एवं उनकी लाभप्रदत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकजेज की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये।

(21) ग्राम्य विकास विभाग में आयुक्त/निदेशालय स्तर पर संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा सततरूप से जनपदवार अनुश्रवण कर योजना लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित किया जाये और राज्य स्तरीय बैंठक में समीक्षा कर रोजगार सृजन योजना को सफल बनाया जाए।

2- उक्त प्रस्तर एक के अंतर्गत बिन्दु-1 से 21 में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के निर्देश तथा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यथा अपेक्षित जनपदों से समन्वय कर सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर मुख्य वित्त लेखाधिकारी, अपर आयुक्त (लेखा) तथा एवीआरवाई के परियोजना अधिकारी भी उत्तदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत सवीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-अम्बेडकर रोजगार योजना-27-सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

4. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(9) द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन तथा समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/1071(1)/38-6-2014 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.
6. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. राज्य योजना आयोग-1/2
10. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in